

Regarding regulation of Ultra processed food consumption to protect Public health

श्री तेजस्वी सूर्या (बंगलौर दक्षिण): माननीय अध्यक्ष जी, मैं सरकार का ध्यान एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आकर्षित करना चाहता हूँ। पिछले कुछ सालों से देश में अल्ट्रा प्रोसेसिंग फूड का कंजम्पशन बहुत बढ़ रहा है। विशेष रूप से जो इंस्टेंट नूडल्स होते हैं, स्वीट एंड ब्रिक्वरेजेज़ होते हैं, सोडाज़ होते हैं, बच्चे उनको बहुत ज्यादा पी रहे हैं। This is resulting in a health epidemic. ओबेसिटी ज्यादा हो रही है, देश में टाइप-टू डायबिटीज़, कार्डियो वैस्कुलर डिजीजेज़ आदि बढ़ रही हैं। नेशनल हेल्थ सर्वे और नेशनल इकोनॉमिक सर्वे, 2025 में भी रिपोर्टेड है कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड के कंजम्पशन की वजह से ओबेसिटी बढ़ रही है। मेरी सरकार से यह मांग है कि पहले अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड की डेफिनेशन तय करनी है। दूसरा, फ्रंट ऑफ पैकेजिंग लेबलिंग करना है, कई सारे देशों में करते हैं, उसका कंजम्पशन बहुत कम हो चुका है और तीसरा हमें इस पर टैक्स ज्यादा लगा करके, बच्चों के लिए एडवर्टाइजिंग बैन करने का काम करना है। देश की हेल्थ को बचाना है। धन्यवाद अध्यक्ष जी।

माननीय अध्यक्ष : श्री मनीष जायसवाल - उपस्थित नहीं।

श्री शशांक मणि जी।